


न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल

ग्वालियर (म०प्र०)

R-54- II-17

94



- 1- हरिदास साकेत
- 2- बामन दास साकेत
- 3- शिवप्रसाद साकेत
- 4- गोविन्द साकेत
- 5- मंधारी साकेत
- 6- शंखलाल बसोर पिता बूचड़ बसोर
- 7- मोतीलाल
- 8- सुदर्शन
- 9- हनुमत

दोनों के पिता सुबुद्धलाल साकेत

तीनों के पिता बुद्धसेन साकेत

तीनों के पिता शंखलाल बसोर

सभी निवासी ग्राम सरई तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

निगरानीकर्तागण

बनाम्

- 1- रामायण प्रसाद तिवारी पिता कौशल प्रसाद तिवारी सा० सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली (म०प्र०)
- 2- शासन म०प्र०

गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील सरई जिला सिंगरौली म०प्र० के प्रकरण कमांक 59-अ/12/2013-14 आदेश दिनांक 15/06/2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

राजस्व निरीक्षक (म.प्र.)
राजस्व मण्डल तहसील सरई जिला सिंगरौली

9

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-54-दो/2017

जिला सिंगरौली

हरिदास विरूद्ध रामायण व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक सरई के प्रकरण क्रमांक 59/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी सरई को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी सरई के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जिन) 06.3.2019 सदस्य</p>